न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया,आर.ए.एस.

राजस्ववाद संख्या :– 05/2020

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1.कुम्भाराम पुत्र जोधाराम जाति कुम्भार निवासी डेरपाना तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1.वेहनाराम पुत्र जोधाराम 2.आसुराम पुत्र जोधाराम 3.पुराराम पुत्र जोधाराम 4.सवाराम पुत्र रावताराम 5.चनणी देवी पत्नि रावताराम 6.अमियों पुत्री रावताराम 7.गवरी पुत्री रावताराम जातियान कुम्भार निवासी डेरपाना तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 8.शाखा प्रबन्धक एस बी आई शाखा सिणधरी 9.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री बाबुलाल विश्नोई अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।

2.प्रतिवादीगण एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 15.05.2024

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा– डेरपाना पटवार क्षेत्र भुंका भगतसिंह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 49/4 रकवा 3.4321 हैक्टेयर के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 06.3.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार वाई मिटस एण्ड वाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी एवं उनके अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

सहायक कलक्टर सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

तेजाराम वादी का दावा अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा [illegible] मुजा मगरोडिया तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 49/4 रकबा 3.4383 हैक्टेयर [illegible] रकबा में विभाजन खातेदारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1	कुम्पाराम पुत्र जोधाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. स्व खातेदार। रहन एसबीआई शाखा मुजा मगरोडिया	49/4	1.2607	बा.दो.	—	हरा
2	भगाराम 35/288 हि. पुनाराम 35/288 हि. केवलराम 35/288 हि. पुत्र जोधाराम सवाराम पुत्र रावताराम 10/288 हि. अमियो पुत्री रावताराम 2/288 हि. रूपणी पत्नी मंगल रावताराम 2/288 हि. जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. स्व खातेदार। रहन– पुनाराम का हि. एसबीआई शाखा मुजा मगरोडिया	49/4	2.1776	बा.दो.	—	लाल

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर [illegible] तस्दीक करें, संबंधित नामांतरकरण की प्रति पर तरमीम अंकित करें, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर के अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। [illegible] पत्रावली शामिल [illegible] हो। खर्चा मुकदमा अपना–अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 16.05.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी